# झारखण्ड सरकार

## झारखण्ड विधान–सभा

झारखण्ड विधान-मण्डल

(नेता-विरोधी दल, वेतन और भत्ता)
अधिनियम, 2001

सत्यमेव जयते

(सभा द्वारा पारित)

[ झारखण्ड अधिनियम 2/2001 ]

# झारखण्ड सरकार

## झारखण्ड विधान–सभा

झारखण्ड विधान-मण्डल

(नेता-विरोधी दल, वेतन और भत्ता)
अधिनियम, 2001

सत्यमेव जयते

(सभा द्वारा पारित)

[ झारखण्ड अधिनियम 2/2001 ]

# झारखण्ड विधान मंडल (नेता-विरोधी दल, वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001

[ सभा द्वारा पारित ]

इसलिए भारत-गणराज्य बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(क) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल (नेता-विरोधी दल, वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा ।

(ख) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, विधान-मंडल के सदन के सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान-सभा का कोई सदस्य जो तत्समय पद में सरकार के ऐसे विरोधी दल का नेता हो जिसकी संख्या-बल सबसे अधिक हो और इस रूप में झारखण्ड विधान-सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

स्पष्टीकरण : जहां विधान-सभा में सरकार के दो या अधिक विरोधी दलों का संख्या-बल समान हो, वहां यथास्थिति, विधान-सभा के अध्यक्ष, दलों की हैसियत को ध्यान में रखते हुए इस धारा के प्रयोजनार्थ विरोधी दल के नेता के रूप में ऐसे दलों में से किसी एक दल के नेता को मान्यता प्रदान करेंगे और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निर्णायक होगी ।

3. विरोधी दल के नेता का वेतन एवं क्षेत्रीय भत्ता

(क) विरोधी दल के ऐसे नेता को प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार) रुपए वेतन दिया जायगा । वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायगा ।

(ख) विरोधी दल के नेता को प्रतिमाह चार हजार रुपए की दर से क्षेत्रीय भत्ता और एक हजार रुपए की दर से आतिथ्य सत्कार भत्ता दिया जायगा ।

(ग) इस अधिनियम के अधीन वेतन या भत्ता पानेवाला विरोधी दल का नेता, विधान-मंडल के सदन की अपनी सदस्यता के सम्बन्ध में वेतन या भत्ता के रूप में विधान-मंडल द्वारा उपबंधित निधियों में से कोई रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(घ) विरोधी दल के नेता का निवास

(1) विरोधी दल का नेता अपनी पूरी पदावधि तक और उसके तुरन्त बाद एक माह की अवधि तक रांची में तथा रांची के बाहर किसी अन्य स्थान में, जहां विधान-सभा की बैठक आयोजित हो, किराया दिए बिना एक सुसज्जित निवास के उपयोग करने का हकदार होगा ।

(2) ऐसे निवास के अनुरक्षण के संबंध में विरोधी दल के नेता पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा ।

(3) इस धारा के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित करने एवं अनुरक्षण का व्यय समान दण्ड और उस वित्तीय सीमाओं के अधीन होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "आवास" में स्टॉफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और "आवास" से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत "स्थानीय करों" एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है ।

(ङ) विरोधी दल के नेता को यात्रा और दैनिक भत्ता : विरोधी दल के नेता को राज्य के अन्दर 350/- (तीन सौ पचास) रुपये एवं राज्य के बाहर भ्रमण के लिये विधान-मंडल के सदस्यों, मंत्रियों के अनुरूप उल्लिखित शर्तों के अधीन 500/- (पांच सौ) रुपये दैनिक भत्ता देय होगा ।

(च) मोटर कार खरीदने के लिए विरोधी दल के नेता को अग्रिम और सवारी भत्ता का दिया जाना :

राज्य सरकार विरोधी दल के नेता के उपयोग के लिए मोटरकार की खरीद और उपबंध समय-समय पर ऐसी शर्तों पर कर सकेगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे ।

परन्तु, यदि विरोधी दल के नेता के पास राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कोई मोटरकार नहीं हो, तो उसे उसके बदले सवारी भत्ता की ऐसा रकम और मोटरकार को खरीद करने के लिए ऐसी धनराशि ऐसी शर्तों पर दी जाएगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन सुविधा और दक्षतापूर्वक कर सके ।

(छ) विरोधी दल के नेता को सुविधाएं

विरोधी दल के नेता के लिए उपस्कर, दूरभाष तथा निजी स्टॉफ की सुविधाओं के लिए ऐसे पैमाने पर उपबंध किया जायेगा जो राज्य सरकार, नियमों द्वारा अवधारित करे ।

(ज) नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधान-सभा के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के सत्र में हो, जिसमें एक साथ या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हों, रखा जाएगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसके ठीक बाद वाले सत्र में सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो, अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाय, तो उसके बाद, यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका प्रभाव ही नहीं होगा, फिर भी ऐसे उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

यह विधेयक [ झारखण्ड विधान-मंडल (नेता विरोधी दल, वेतन और भत्ता) विधेयक, 2001 ] दिनांक 31 मार्च, 2001 के झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 31 मार्च, 2001 के सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

इन्दर सिंह नामधारी,
अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूं ।

रांची :
दिनांक 20 अप्रैल, 2001

प्रभात कुमार,
राज्यपाल, झारखण्ड ।

सच्ची प्रतिलिपि

अगापित टोप्पो,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रांची ।

झा०रा०मु० रांची—(एल० ए०)—16—81—26-7-2001—अनि मुण्डा ।